



कार्यालय पुलिस उपायुक्त,
जोधपुर पूर्व



॥ प्रेस नोट ॥



@CP_Jodhpur



Jodhpurpolice



9530440800



Jodhpurpolice

दिनांक:- 01.06.2023

- बंदी सुरेश सिंह के हत्यारे अजयपाल सिंह उर्फ एपी सिंह व उसके साथी हरकिशन उर्फ हिमांशु उर्फ दुर्योधन मीणा को हथियार सप्लाई करने वाला मंगल सिंह गिरफ्तार,
- मंगल सिंह ने प्रवीण सिंह मणिहारी के कहने पर उपलब्ध करवाये थे हथियार,
- मंगल सिंह 5 हथियार व 500 कारतूस 10 लाख रूपये में खरीद कर लाया था।
- अब तक इन प्रकरणों में 07 विभिन्न राज्यों से कुल 31 मुलजिम्ओं को किया जा चुका है गिरफ्तार।

कार्यवाही पुलिस :-

उपरोक्त प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए गठित टीम के प्रभारी श्री नाजिम अली, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पूर्व व श्री देरावर सिंह सहायक पुलिस आयुक्त, जोधपुर पूर्व द्वारा टीमों को मुलजिम्ओं को शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश दिये गये। उपर्युक्त प्रकरणों में पूर्व में गिरफ्तारशुदा आरोपी अजयपाल सिंह तंवर उर्फ एपी सिंह पुत्र स्व. श्री जब्बरसिंह जाति राजपुत निवासी कैलावा पुलिस थाना करवड़, जोधपुर पूर्व एवं प्रवीणसिंह पुत्रश्री जब्बरसिंह निवासी मणिहारी, पाली व षड्यन्त्र में शामिल आरोपियों की पूछताछ में सामने आया कि बंदी सुरेश सिंह की हत्या को अंजाम देने के लिये कुल 5 अवैध हथियार लाये गये थे। जो प्रवीणसिंह के कहने पर मंगल सिंह ने अजय पाल सिंह को उपलब्ध करवाये थे। उनमें से इन हथियारो घटना को अंजाम देने वाले अजयपालसिंह और हिमांशु मीणा को दिये गये थे।

यह हथियार घटना से करीब 6 माह पहले मंगल सिंह धोलपुर निवासी जितैन्द्र सिंह बिलोनी पुलिस थाना कंचनपुर से 10 लाख रूपये में लेकर आया था। जितैन्द्र सिंह बिलोनी वर्तमान में धोलपुर जैल में बंद है तथा पुलिस थाना कंचनपुर का हिस्ट्रीशीटर है।

गिरफ्तार मुलजिम का विवरण -

मंगल सिंह उर्फ मंगु पुत्रश्री रामविलास तंवर जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी रत्न बसाई पुलिसथाना अम्बाह जिला मुरैना, मध्यप्रदेश।

आपराधिक रिकॉर्ड - मुलजिम मंगल सिंह

1. प्रकरण संख्या 306/2008 धारा 336,294,323,506/34 भादसं. पुलिस थाना अम्बाह, जिला मुरैना,
2. प्रकरण संख्या 442/2008 धारा 379,392,395 भादसं. व 11,13 एमपीडीपीके एक्ट पुलिस थाना अम्बाह, जिला मुरैना,

3. प्रकरण संख्या 254 / 2008 धारा 341,294,506 / 34 भादसं. पुलिस थाना अम्बाह, जिला मुरैना,
4. प्रकरण संख्या 445 / 2008 धारा 307,302 / 34 भादसं. पुलिस थाना अम्बाह, जिला मुरैना,
5. प्रकरण संख्या 361 / 2009 धारा 336,294 / 34 भादसं. पुलिस थाना अम्बाह, जिला मुरैना,
6. प्रकरण संख्या 104 / 2011 धारा 307,294,506 / 34 भादसं. पुलिस थाना अम्बाह, जिला मुरैना,
7. प्रकरण संख्या 281 / 2012 धारा 323,327,506 / 34 भादसं. पुलिस थाना अम्बाह, जिला मुरैना,
8. प्रकरण संख्या 163 / 2014 धारा 323,294,506 भादसं. पुलिस थाना अम्बाह, जिला मुरैना,
9. प्रकरण संख्या 509 / 2014 धारा 323,294,341,506 / 34 भादसं. पुलिस थाना अम्बाह, जिला मुरैना,
10. प्रकरण संख्या 513 / 2014 धारा 452,147,148,149,459,294,323 भादसं. पुलिस थाना अम्बाह, जिला मुरैना,
11. प्रकरण संख्या 376 / 2018 धारा 307,294,506,147,148,149,302 भादसं. एवं 25,27 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना अम्बाह, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश।

कार्यवाही में शामिल पुलिस टीम:-

1. श्री भारत रावत निरीक्षक पुलिस, अपराध सहायक, अपराध शाखा, जोधपुर पूर्व,
2. श्री कन्हैयालाल उप निरीक्षक पुलिस, डी.एस.टी., जोधपुर पूर्व,
3. श्री किशनसिंह कानि 1026 डीएसटी जोधपुर पूर्व
4. श्री गिरवरसिंह कानि 394 डीएसटी जोधपुर पूर्व
5. श्री गंगासिंह कानि. चालक 483 डीएसटी जोधपुर पूर्व

पुलिस उपायुक्त
जोधपुर पूर्व

